



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक

स्था/प्रनिबो/2012

भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

दिनांक 10 अप्रैल 2012 को म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आयोजित साक्षात्कार समिति द्वारा " Studies on Effect of Fly Ash (Sami Thermal Power Station on Surrounding Environment) " प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त अनुशंसा के आधार पर श्री सुरेन्द्र भाटी को Junior Research Fellow (JRF) के पद पर नियत वेतन रुपये 12,000/- (बारह हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह की दर से निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष या प्रोजेक्ट अवधि जो भी न्यूनतम हो, के लिए नियुक्त किया जाता है :-

1. चयनित उम्मीदवारों का चयन पूर्णतः अस्थाई है एवं अधिकतम प्रोजेक्ट अवधि छः माह या प्रोजेक्ट अवधि जो भी न्यूनतम हो, के समाप्त होने ही रकत सेवा समाप्त हो जावेगी।
2. उभय पक्ष द्वारा एक माह की पूर्ण सूचना देने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन यथास्थित अथवा वसूली योग्य होगा।
3. इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा। उपरोक्त के अभाव में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
4. चयनित उम्मीदवारों को इस आशय का रुपये 100/- के शपथ पत्र पर यह अनुबंध करना होगा कि प्रोजेक्ट की समाप्ति के पश्चात वे बोर्ड की सेवा में सम्मिलित हेतु कोई प्रयास नहीं करेंगे एवं न्यायालय में इस संबंध में कोई वच दायर नहीं करेंगे। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात 15 दिन की सन्यायधि में अनुबंध पत्र देना होगा इसके पश्चात ही वेतन भुगतान प्राप्त होगा।
5. इन्हे नियमानुसार आकस्मिक/ऐच्छिक अवकाश देय होंगे इसके अलावा अन्य कोई अवकाश देय नहीं होंगे।

(आर0के0 जैन)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 2695 स्था/प्रनिबो/2012
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 04-10-12

1. प्रभायी अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कार्यपालन मंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभायी अधिकारी, आई.टी. शाखा, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. श्री सुरेन्द्र भाटी, S-1195, नेहरू नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. व्यक्तिगत नस्ती।

(आर0के0 जैन)
सदस्य सचिव

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक

स्था/प्रनिबो/2012

भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

दिनांक 10 सितम्बर 2012 को म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में आयोजित साप्ताहिक समिति द्वारा " Bioremediation of Chromium Wastes from Industrial Waste " प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त अनुशंसा के आधार पर श्री विनोद चौरसे को Junior Research Fellow (JRF) के पद पर नियत (Fixed) वेतन रुपये 12,000/- (बारह हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह की दर से निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष या प्रोजेक्ट अवधि जो भी न्यूनतम हो, के लिए नियुक्त किया जाता है :-

1. नियत उम्मीदवारों का चयन पूर्णतः अस्थाई है एवं अधिकतम प्रोजेक्ट अवधि एक वर्ष या प्रोजेक्ट अवधि जो भी न्यूनतम हो, के समाप्त होते ही स्वतः सेवा समाप्त हो जायेगी।
2. उभय पक्ष द्वारा एक माह की पूर्ण सूचना देने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन यथास्थित अथवा वसूली योग्य होगा।
3. इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा। उपरोक्त के अभाव में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
4. नियत उम्मीदवारों को इस आदेश का रुपये 100/- के शपथ पत्र पर यह अनुबंध करना होगा कि प्रोजेक्ट की समाप्ति के पश्चात वे बोर्ड की सेवा में सम्मिलित हेतु कोई प्रयास नहीं करेंगे एवं न्यायालय में इस संबंध में कोई वाद दायर नहीं करेंगे। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात 15 दिन की समवायधि में अनुबंध पत्र देना होगा इसके पश्चात ही वेतन भुगतान प्राप्त होगा।
5. इसके विषयानुसार आकस्मिक/ऐच्छिक अवकाश देय होंगे इसके अलावा अन्य कोई अवकाश देय नहीं होंगे।

(आर0के0 जैन)
सदस्य सचिव

पू.क्र. 2710 स्था/प्रनिबो/2012
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 06-10-12

1. प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कार्यपालन यंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. शाखा, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. श्री विनोद चौरसे, शासकीय बेनजीर महाविद्यालय, भोपाल / Tirmahu, Post-Lalawadi, Teh-Amla, Distt. Betul (M.P.) 460551 की ओर सूचनार्थ।
5. व्यक्तिगत नस्ती।

(आर0के0 जैन)
सदस्य सचिव

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी भोपाल

क्रमांक 2723/स्था/प्रनिबो/12

भोपाल दिनांक 10/10/12

-- कार्यालय आदेश --

राज्य बोर्ड की 129 वीं बैठक दिनांक 28 अगस्त 2012 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश में बोर्ड में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों (दैनिक वृत्तन भोगी सहित) को आदेश जारी होने के दिनांक से चिकित्सा भत्ता रुपये 1500 प्रतिमाह स्वीकृत किया जाता है।

(आर. के. जैन)
सदस्य सचिव

भोपाल दिनांक 10/10/12

पृ. क्र. 2724/स्था/प्रनिबो/12
प्रतिलिपि :-

- 1 निज सचिव, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2 समस्त समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, L.T.2(प्र.व.).... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 3 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ।
- 4 वित्त अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर राज्य बोर्ड के एजेण्डा एवं निर्णय की प्रति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(आर. के. जैन)

सदस्य सचिव
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक

/स्था/प्रनिबो/2012

भोपाल, दिनांक

--: कार्यालय आदेश :-

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 01/9/2012 व वित्त विभाग के आदेश दिनांक 16.04.1987 व 15/6/1987 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर पुनरीक्षित दरों को बोर्ड में (जिन अधिकारी/कर्मचारियों को पाँचवे वेतनमान के अन्तर्गत गृहभाड़ा भत्ता भुगतान किया जा रहा है) को दिनांक 01/11/2011 से निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	शहर/कस्बे की आबादी	पुनरीक्षित गृह भाड़ा भत्ते की दर (वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत)
1.	भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर (7 लाख से अधिक आबादी वाले शहर)	10%
2.	उज्जैन, सागर, देवास, सतना (3 लाख से 7 लाख की आबादी वाले शहरों हेतु)	7%
3.	सिंगरौली, शहडोल रीवा, गुना, नागदा, कटनी, छिंदवाड़ा (50,000 से 3,00,000 की आबादी वाले शहरों हेतु)	5%

(आर.के. जैन)
सदस्य सचिव

भोपाल, दिनांक 17/10/12

पृ.क्र. 2876 /स्था/प्रनिबो/2012
प्रतिलिपि :-

1. लेखा शाखा, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,की ओर सूचनार्थ ।
3. समस्त शाखा प्रभारी, L.I. 2 (A.R.B.), मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

(आर.के. जैन)
सदस्य सचिव